नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

कोर "1" व "2" स्कोप मीनार, 14वीं मंजिल, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र,दिल्ली - 110 092

सं.: अनुविनि/प्रशा/कैंटीन/2022/1003 **दिनांक: 17.12.2024**

विषय: कैंटीन सेवा की संविदा

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी) जिसका प्रधान कार्यालय स्कोप मीनार, 14वीं मंजिल, कोर ‘1’ एवं ‘2’ लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली- 110 092 पर स्थित है। निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों पर **“एकल बिड प्रणाली”** के अंतर्गत एक वर्ष के लिए कैंटीन/पैंट्री सेवा की संविदा के लिए निविदाएँ **दो अलग लिफाफों में (तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड)** आमंत्रित करता है:

1. **सामान्य निबंधन और शर्तें**
निविदा जमा करना

1.1 निविदा प्रबंधक (प्रशासन) को उपरोक्त पते पर प्रस्तुत की जानी है।
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि **30.12.2024** को सांय **3:00** बजे है।

1.2 प्रत्येक निविदा के साथ बतौर बिड सिक्युरिटी एनएसएफडीसी, दिल्ली के पक्ष में दिल्ली में देय रु.1000/- का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न किया जाना चाहिए। संविदा का निर्णय होने के बाद इस राशि को वापस किया जाएगा। इस राशि कोई ब्याज देय नहीं होगा।

1.3 उसी फर्म की निविदा स्वीकार की जाएगी जिसके साथ सिक्युरिटी संलग्न की गई होगी। अन्य सभी फर्मों को बिड सिक्युरिटी की वापसी सेवा प्रदाता के चयन के पश्चात की जाएगी।

1.4 निविदाकर्ता निविदा जमा करने से पूर्व में एनएसएफडीसी, कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर 10 बजे से 6 बजे के बीच दिनांक 30.12.2024 तक कैंटीन का मुआयना कर सकते हैं।

2. **निविदा खोलने का समय**

2.1 निर्धारित समय के अंतर्गत प्राप्त निविदाओं को दिनांक 30.12.2024 को सांय 3:30 बजे फर्मों के प्रतिनिधियों के समक्ष (यदि कोई हो) खोला जाएगा।

3. **निविदाओं का मूल्यांकन**

3.1 तकनीकी बिड को एनएसएफडीसी द्वारा गठित समिति मूल्यांकन करेगी। समिति सदस्य फर्मों के कार्यालयों का मुआयना करने के लिए जा सकती है।

3.2 खुले/स्टेप्ल्ड/गलत तरीके से सील/फैक्स एवं निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जाएंगी।

4. **तकनीकी बिड पूर्व-अर्हता (pre-qualification) –** दस्तावेजों के लिए अनुलग्नक 1 देखें।

4.1 निविदाकर्ताओं को पंजीकरण/लाइसेंस की प्रति संलग्रित करना अनिवार्य होगा।

4.2 निविदाकर्ताओं को VAT/DVAT/Service Tax/PAN Card की प्रति संलग्रित करना अनिवार्य होगा।

4.3 सभी निविदाकर्ताओं को पूर्व में और वर्तमान में दी जा रही कैंटीन सेवाओं की कम से कम 2 करारों की प्रति संलग्रित करना अनिवार्य होगा।

4.4 सभी निविदाकर्ताओं को उनके द्वारा कैंटीन सेवा प्रदान किए गए कार्यालयों/फर्मों की सूची संलग्रित करना अनिवार्य होगा।

4.5 सभी निविदाकर्ताओं को अपने पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एवं मैनपॉवर उपलब्ध होने की अंडरटेकिंग देना अनिवार्य होगा (अनुलग्नक-1)।

5. **वित्तीय बिड**

सभी निविदाकर्ताओं को अलग सीलबंद लिफाफे में निम्नलिखित खाद्य सामग्री की दरें देनी होंगी।

क्र.सं.	वस्तुएं	मात्रा	दर (रुपए में)
1.	चाय (डिप/तैयार)	एक कप (125 एमएल)	
2.	नींबू चाय	एक कप (125 एमएल)	
3.	कॉफी	एक कप (125 एमएल)	
4.	नींबू पानी	एक गिलास (200 एमएल)	
5.	एक समोसा/	एक नग (मध्य आकार)	
6.	ब्रेड पकौड़ा	एक नग	
7.	पकौड़ा प्लेट (प्याज), मिक्स पकौड़ा प्लेट (आलू- प्याज) पनीर पकौड़ा	एक प्लैट (150 ग्राम)	
8.	ब्रेड रोल	एक नग	
9.	पैटीज	एक नग	
10.	इडली सांभर या चटनी के साथ	एक प्लैट (2पीस)	
11.	रायता	एक कटोरी (150 ग्राम)	
12.	आमलेट	i) एक अंडे का ii) दो अंडे का	
13.	मक्खन टोस्ट	दो स्लाइस/ 2नग	
14.	सूप	एक गिलास (200 एमएल)	
15.	चपाती/रोटी	एक नग	
16.	*थाली (शाकाहारी)* – (3-रोटी, 1-सूखी सब्जी, एक तरी वाली सब्जी/दाल, सलाद, चावल)	एक थाली	
17.	*थाली (डीलक्स शाकाहारी)* – (3-रोटी, 1-सूखी सब्जी, एक तरी वाली सब्जी/दाल, शाही पनीर/दाल मक्खनी/पालक पनीर/ मटर मशरूम, चावल, सलाद, पापड़, एक मीठा)	एक थाली	
18.	*थाली (माँसाहारी)* – (3-रोटी 1-सूखी सब्जी, एक चिकन/मटन की सब्जी सलाद, चावल)	एक थाली	
19.	*थाली (डीलक्स माँसाहारी)* – स्पेशल (3-रोटी 1-सूखी सब्जी, एक चिकन/मटन की सब्जी, शाही पनीर/पालक पनीर, चावल, सलाद, पापड़, एक मीठा)	एक थाली	
20.	दाल	एक कटोरी (150 ग्राम)	
21.	सब्जी (मौसमी)	एक कटोरी (150 ग्राम)	
22.	शाही पनीर	एक कटोरी (150 ग्राम)	
23.	पालक पनीर/मटर पनीर / मटर मशरूम	एक कटोरी (150 ग्राम)	
24.	चावल	एक प्लेट (200 ग्राम)	
25	राजमा/छोले/चना/दाल मक्खनी/ कढ़ी पकौड़ा चावल के साथ	एक प्लेट (200 ग्राम) चावल के साथ एक कटोरी (200 ग्राम) सब्जी	
26.	**सब्जी (माँसाहारी)** i)चिकन , ii) मटन, iii)फिश करी, iv)अण्डा करी	एक कटोरी (200 ग्राम)	
27.	दही खुला	एक कटोरी (100 ग्राम)	
28.	कोल्ड ड्रिंक (वैल्यू पैक) में से	एक गिलास (200 एमएल)	
29.	रेडिमेड स्नैक्स/बिस्कुट/कोल्ड ड्रिंक/दही(मदर डेयरी/अमूल)/ नमकीन/चिप्स (पैकेट)	संबंधित सामग्री की एमआरपी पर	
30.	एक प्लैट बिस्किट	एक प्लेट 6 पीस	
31.	एक प्लैट नमकीन	एक प्लेट 50 ग्राम	
32.	अन्य कोई सामग्री		

नोट: 1. **इस कार्यालय में कुल लगभग 73 कार्मिक कार्यरत है एवं कार्यालय द्वारा कोई भी सब्सिडी नहीं दी जाएगी।**

2. **कैंटीन प्रचालक को सभी कार्मिकों से व्यक्तिगत उनके द्वारा उपयोगी खाद्य पदार्थों की राशि स्वयं ही लेनी होगी।**

6 संविदा

6.1 कैंटीन प्रबंधन करने और उसे चलाने के लिए संविदा को प्रभावी करने के लिए कैंटीन ठेकेदार को एनएसएफडीसी के साथ निर्धारित प्रपत्र में एक करार पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी।

6.2 संविदा प्रारंभ होने की संभावित तारीख से एक वर्ष के लिए मान्य होगी। कैंटीन की सेवाओं को आरंभ में तीन माह परीक्षण (ट्रायल) के लिए दिया जाएगा। उसके बाद सेवाओं की संतुष्टि के बाद उसे परीक्षण अवधि सहित एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। पहली एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद संविदा की अवधि का नवीकरण उसकी सेवा के निष्पादन के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के निर्णयानुसार आपसी सहमति के अधीन आगे बढ़ाया जा सकता है।

6.3 ठेकेदार को बतौर सिक्युरिटी एनएसएफडीसी, दिल्ली के पक्ष में दिल्ली में देयराशि रु.5,000/- का डीडी जमा कराना होगा। इस राशि पर ब्याज का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। जिसे अनुबंध खत्म होने पर कैंटीन परिसर को एनएसएफडीसी को सौंपने तथा ठेकेदार से सभी बकाया राशि के निपटारे होने पर ही वापस किया जाएगा।

6.4 खानपान ठेकेदार उक्त कैंटीन चलाने के लिए किसी भी एजेंट को अनुबंधित नहीं करेगा अथवा कोई भी अन्य उप संविदा नहीं करेगा।

6.5 कैंटीन ठेकेदार अपनी सेवाओं को सभी कार्यदिवस पर पूर्वाह्न 9:30 बजे से सायं 18:00 बजे तक उपलब्ध कराएंगे। कार्यालय समय पर सेवाएं देने के लिए ठेकेदार को 8:30 बजे कार्यालय आ जाना होगा। यदि ठेकेदार सात दिनों से अधिक (लगातार) अनुपस्थित है तो यह समझा जाएगा कि वह कैंटीन चलाने में इच्छुक नहीं है तथा ठेकेदार की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी एवं सिक्युरिटी जब्त की जाएगी।

6.6 ठेकेदार कैंटीन ठेकेदारी की सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए व्यापारिक कार्य से जुड़ी सभी कानूनी आवश्यकताओं/उत्तरदायित्वों को ध्यान रखेंगे।

6.7 असाधारण परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ने पर किसी भी निबंधनों को परिवर्तन करने का अधिकार एनएसएफडीसी को होगा।

6.8 निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज अधिकृत प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं सील किए होना अनिवार्य होगा।

6.9 निविदा शर्तहीन होनी चाहिए।

6.10 ठेकेदार को एनएसएफडीसी की कैंटीन के लिए चयनित होने पर, यथाशीघ्र ही कैंटीन से संबन्धित एफ़एसएसएआई पोर्टल मे लाइसेंस लेना होगा/ रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके लिए रु.100/- मात्र का भुगतान भी रजिस्ट्रेशन के समय करना होगा।

6.11 निविदाकर्ता द्वारा देरी से एवं असंतोषजनक सेवा पाई जाने की स्थिति में एनएसएफडीसी की करार समाप्त करने का अधिकार होगा।

6.12 एनएसएफडीसी को बिना कारण बताए निविदा को स्थगित करने/दोबारा मंगवाने/मंगवाने/पूर्ण या आंशिक रूप से अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

6.13 अनुबंध के नियम और शर्तों की व्याख्या से उत्पन्न किसी भी विवाद की स्थिति में, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एनएसएफडीसी, दिल्ली का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

6.14 सभी विवाद अथवा मतभेद, जो भी, पार्टियों के बीच अथवा इस संविदा की संरचना, आशय, तथा प्रचालन व अथवा प्रभाव या उसके टूटने संबंधी, उठता है तो उसे भारतीय माध्यस्थम् परिषद (आईसीए) की माध्यस्थम् नियमावली के अनुसार माध्यमस्थम् द्वारा निपटाया जाएगा तथा उसके लिए लिया गया अधिनिर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक इस संविदा हेतु सक्षम माध्यस्थम् अधिकारी (सीएओ) होंगे।

7. <u>व्यवस्था और प्रबंधन</u>

7.1 **रसोई/कैंटीन स्थान, बिजली, पानी, 220 लीटर का फ्रिज, इंडक्शन कुक टॉप और उसके बर्तन (फ्राइंगपेन, तवा, कुकर, कढ़ाई, कलछी), इडली मेकर, एअर फायर, माइक्रोवेव, बोरोसिल के बाउल, क्रॉकरी, इत्यादि एनएसएफडीसी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।**

7.2 खाद्य पदार्थ के केवल एनएसएफडीसी के कार्मिकों के लिए 14वीं मंजिल, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-92 पर दिया जाएगा तथा किसी बाहरी व्यक्ति को देना अनुमत्य नहीं होगा ।

7.3 कार्यालय में समय-समय पर आयोजित बैठकों एवं सम्मेलनों के लिए अलग से व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

7.4 ठेकेदार एनएसएफडीसी की कैंटीन के लिए एक रसोइया और एक या दो कर्मचारी सर्विस के लिए रखेंगे । इन **सभी कर्मचारियों की पहचान का साक्ष्य (नाम, पता, फोन नंबर, आधार कार्ड इत्यादि) एनएसएफडीसी में जमा कराना होगा।** कर्मचारी भोज्य सामग्री में स्वास्थ्य अनुकूलता का ध्यान रखेंगे तथा अच्छी/साफ सुथरे कपड़े और नाम पट्टिका धारण करेंगे ।

7.5 ठेकेदार से अपेक्षित है कि अपने खर्च पर एनएसएफडीसी की संतुष्टि के अनुसार कैंटीन को हर प्रकार के साज-सामान से सुसज्ज करेगा । रसोई/कैंटीन के स्थान को ठेकेदार द्वारा ठीक ढ़ंग कैंटीन स्वच्छ रखे और स्वस्थ परिवेश बनाए रखे ।

7.6 ठेकेदार उसके द्वारा रखे गए व्यक्तियों के कल्याण के लिए उत्तरदायी होगा तथा किसी भी स्थिति में उसके लिए एनएसएफडीसी उत्तरदायी नहीं होगा ।

7.7 ठेकेदार से अपेक्षित है कि वह खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं का भंडारण स्वच्छ तरीके से करेगा और पीने का पानी नि:शुल्क उपलब्ध कराएगा।

7.8 ठेकेदार को कूड़ा-कचरा फेंकने के लिए कूड़ेदान की व्यवस्था करनी होगी और दैनिक आधार पर कचरा हटाने की शीघ्र और उचित व्यवस्था अपने स्वयं के खर्च पर करनी होगी।

7.9 खानपान ठेकेदार को खाद्य सामग्री इत्यादि के निर्माण उसकी बिक्री के संबंध में म्युनिसिपल और अन्य विनियमों का पालन करेगा।

7.10 ठेकेदार रोजगार से संबंधित सभी कानूनों (बाल मजदूर आदि) और अपने कर्मचारियों की ऐसी अन्य शर्तों का पालन करेगा।

7.11 ठेकेदार द्वारा नियोजित व्यक्तियों का आचरण अच्छा होना चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी उपस्थिति पर एनएसएफडीसी को आपत्ति हो सकती है, खानपान ठेकेदार द्वारा नियोजित नहीं किया जा सकता।

7.12 ठेकेदार को सुनिश्चित करना है कि कटलरी, क्रॉकरी, बर्तन, आदि जिनमें खाना और पेय पदार्थ तैयार किए जाते हैं और/या परोसे जाते हैं, को उचित तरीके से अथवा स्वास्थकर ढंग से धोया और पोछा जाना है।

8. **<u>भोज्य सामग्री</u>**

8.1 कैंटीन एनएसएफडीसी के कर्मचारियों के अनन्य उपयोग के लिए होगी।

8.2 खाद्य पदार्थों की प्रस्तुति में उत्तम गुणवत्ता के बर्तनों, कपों, पेपर नैपकीनों, फॉइल, ट्रे इत्यादि का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है।

8.3 कैंटीन को एनएसएफडीसी के सभी कार्य दिनों में तथा सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से संबंधित कार्मिकों को आवश्यकतानुसार चाय/कॉफी/ कोल्डड्रिंक/नींबू पानी को सामान्य कार्य समय से पहले और बाद में तथा शनिवार/रविवार/छुट्टी के दिन भी दिया जाएगा।

8.4 खानपान ठेकेदार के द्वारा आपूर्ति खाद्य सामग्री, आदि की गुणवत्ता उत्कृष्ट स्तर की होनी चाहिए। गोमांस/पोर्क, जो किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचा सकता है, नहीं लाया जाना चाहिए/ परोसा जाना चाहिए।

8.5 ठेकेदार स्कोप मीनार के बाहर तैयार किया गया कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं लाएगा।

8.6 ठेकेदार को सरकारी नियमों के अनुसार अपने स्टाफ की चिकित्सा जांच करानी होगी।

8.7 ठेकेदार उक्त परिसर में संदर्भित कैंटीन से इतर अन्य कोई व्यवसाय नहीं चलाएगा। वह उक्त परिसर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, अतिरिक्त निर्माण, या आशोधन नहीं करेगा।

8.8 एनएसएफडीसी की बैठकों/कार्यशाला/सेमिनारों/अन्य कार्यक्रमों के दौरान जलपान की व्यवस्था का अलग से वैध बिल देना होगा। जिसकी प्रतिपूर्ति अलग से की जाएगी।

9. **<u>निरीक्षण</u>**

9.1 **खाद्य पदार्थ** उत्तम गुणवत्ता के होने चाहिए जिसका साप्ताहिक आधार पर निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।

9.2 किराए पर कैंटीन ठेकेदार की **सेवाओं के लिए** गठित समिति मासिक आधार पर ठेकेदार के सेवाओं के निष्पादन का निरीक्षण करेगी।

* * * * *

कैंटीन चलाने के लिए टैंडर फार्म

TENDER FORMS FOR RUNNING CANTEEN

मैं इसके साथ एनएसएफडीसी, दिल्ली के परिसर में संविदा आधार पर कैंटीन सेवाएं देने के लिए नीचे दिए विवरणानुसार निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ:-

क्रम	विवरण	
1	संविदादाता का नाम Name of the Tenderer	
2	पता/ Address	
3	अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस की साक्ष्यांकित (अटेस्टेड) फोटोकॉपी संलग्न की जाए।	
4	स्थापना वर्ष/Year of Establishment	
5	आज तक निष्पादित संविदाओं का ब्योरा (कृपया दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ विगत में निष्पादित संविदाओं ब्योरा अलग कागज पर इसके साथ संलग्न करें) Details of Contracts executed till date (Please give details of contracts executed previously in a separate sheet, along with documentary proof thereof.)	
6	आधार कार्ड नं. (कॉपी संलग्न करें) Aadhar Card No.	
7	बैंक का खाता सं. और बैंक का नाम (कॉपी संलग्न करें) Bank A/c No. and Bank Name & branch (Please enclose copy)	
8	पैन कार्ड नं. (कॉपी संलग्न करें) PAN Card No. (Please enclose copy)	

दिनाक:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(हस्ताक्षर)

स्थान:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　नाम:

मोबाइल नं:

<u>अनुलग्नक -I</u>

<u>**वचनबद्धता**</u>

1. मैं .... एजेंसी/फर्मका/प्रोपराइटर/निदेशक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता यह वचन देता हूँ कि मेरे पास कैंटीन चलाने के लिए पूरा इन्फ्रर्स्टक्चर और मैनपावर उपलब्ध है।

2. मैनें टेंडर के सभी निबंधनों और शर्तों को पढ़ा और समझा है तथा उनके पालन का वचन देता/देती हूँ।

3. उक्त आवेदन के साथ प्रस्तुत सूचना/दस्तावेज मेरे ज्ञान और विश्वास में सही और अधिकृत है। मैं/हम इस तथ्य से विदित हैं कि गलत सूचना/झूठे दस्तावेजों की प्रस्तुती से उपयुक्त कानून के तहत प्रासिक्यूशन के साथ किसी भी स्तर पर टेंडर के रद्द होने के लिए उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी/होंगे।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

दिनांक: पूरा नाम:

स्थान : सील: